अभिषेक प्रिंटर्स, डूंगला-9413403[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/9/2025	पत्रावली पेश हुई। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। वादीगण नंद किशोर की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश योगी, एवं नरेश जोशी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण मांगीलाल पिता गोपी लाल भाम्बी व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये वाद पत्र को बाद जांच दर्ज कर प्रतिवादीगण को वाद पत्र की प्रतियाँ जरिये सम्मन नोटिस भेजकर तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की तरफ से श्री महेन्द्र सिंह चूण्डावत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा गया, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बावजूद तामील सूचना के उपस्थित नहीं आए बार-बार आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 के जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के आदेश में नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 स्वयं तथा इनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। तथा पत्रावली को साक्ष्य वादीगण में एक पक्षीय साक्ष्य में नियत की गई। दिनांक 14-8-2025 को साक्ष्य वादीगण में वादी नन्द किशोर, संयम सुथार एवं गवाह लालु राम, किशन लाल व राजमल डांगी के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश हुए वादीगण के बयान कराये जाकर वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को प्रदर्श कराये गये इसी प्रकार से गवाहों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पर गवाहों के बयान कराये गये। वकील वादीगण अब और कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं इसलिए पत्रावली को लिखित बहस में वकील वादीगण के निवेदन पर नियत की गई। वकील वादीगण ने लिखित बहस पेश की गई वकील वादीगण को सुना गया। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील वादीगण ने लिखित बहस के साथ मौखिक बहस में भी कथन किया गया कि ग्राम सेमलिया पीलाखेड़ा पटवार मण्डल सेमलिया पीलाखेड़ा के खाता सं. 171 में वर्णित आराजी नम्बर 209 रकबा 0.1390 हेक्टेयर भूमि की दिनांक 19-5-2022 को भू-अभिलेख निरीक्षक रेलवास द्वारा की गई पत्थरगढ़ी पर्चा मौका दिनांक 19-5-2022 के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 209 में 94 वर्गगज भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक का अवैध कब्जा पाया गया है, तथा इसी प्रकार से आराजी नम्बर 210 पर भी 25 वर्गगज भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 का अवैध कब्जा पाया गया, परन्तु आराजी नम्बर 210 के अतिक्रमी प्रतिवादी सं. 4 द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा अन्य आराजी की तरफ बराबर करते हुए एवं आपस में समझा दिया गया तथा अपनी आराजी को सही करते हुए प्रतिवादी सं. 4 ने अपनी स्वयं की आराजी से अदला बदली करते हुए एक दूसरे के पक्ष में छोड़कर निस्तारण कर दिया है। परन्तु आराजी नम्बर 209 से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक जो अवैध कब्जा पाया गया वह हटाया जाने का आदेश किया जावे, तथा वादीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 209, 210 पर आवागमन हेतु प्रतिवादी संख्या-5 की आराजी नम्बर 2093/950 एवं आराजी नम्बर 248 की उत्तरी पाली से 20 फीट चौड़ाई में [illegible] से [illegible] तक लम्बाई में रास्ता की घोषणा धारा 88 के तहत चाही गई है। वकील वादीगण की मौखिक बहस सुनने के पश्चात, लिखित बहस का एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक परीक्षण कर अध्ययन किया गया। अवलोकन के पश्चात पाया गया कि वादीगण की खातेदारी की आराजी नम्बर 209, 210 की पत्थरगढ़ी पत्थरगढ़ी पर्चा मौका दिनांक 19-5-2022 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 लगायत का कब्जा प्रमाणित पाया जाने से पत्थरगढ़ी पर्चा मौका पर उपलब्ध नक्शा नजरी के मानचित्र प्रदर्श-2 के अनुसार हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा धारा 88 के तहत रास्ता हेतु घोषणा चाही गई जबकि नवीन रास्ता हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के तहत प्रावधान अलग से है। इसलिए धारा 88 आर.टी.ए. को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब होकर संलग्न पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.03.06 17:30:39 IST
Reason: SelfAttested